# राजस्थान सरकार
## गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 6(4)गृह–1 / 2021 जयपुर, दिनांक : 03 NOV 2021

### आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सुपरटाईम स्केल की** निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

**वर्ष 2016–17**

श्री लोकेश सोनवाल (एससी) को वर्ष 2013–14 में सलेक्शन स्केल में पदोन्नत किये जाने के कारण सुपरटाईम स्केल वर्ष 2016–17 में पदोन्नति पर विचार किये जाने के फलस्वरूप एससी वर्ग में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण एससी वर्ग के अधिकारी श्री गोवर्धन लाल सौंकरिया के पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

**वर्ष 2017–18**

श्री गोवर्धन लाल सौंकरिया (एससी) के वर्ष 2016–17 में पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उन्हें वर्ष 2017–18 की रिक्ति के विरूद्व पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री राजेन्द्र कुमार (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

**वर्ष 2019–20**

श्री गोवर्धन लाल सौंकरिया को वर्ष 2017–18 में पदोन्नत किये जाने के कारण एससी वर्ग में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप एससी वर्ग के अधिकारी श्री नितेश आर्य के वर्ष 2019–20 में किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

**वर्ष 2020–21**

श्री नितेश आर्य (एससी) का वर्ष 2019–20 में पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाने के कारण उन्हें वर्ष 2020–21 में सामान्य रिक्ति के विरूद्व पदोन्नत किया जाता है। श्री नितेश आर्य की वरिष्ठता श्री अरूण माच्या (एसटी) के नीचे एवं श्री लालचन्द कायल (एससी) केऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

3/11/2021

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव, पुलिस